

न्यायालय म.प्र. अध्यक्ष बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोतीमहल, ग्वालियर,

प्रकरण क. /2014 पुर्नविलोकन 1289 1586-1111,

.....आवेदकगण

- 1 राममोहन गर्ग पुत्र श्री ब्रजमोहन गर्ग, ए.बी. रोड गुना म.प्र.
- 2 संजय पुत्र श्री गनपत लाल गुप्ता सिसौदिया कालोनी गुना

बनाम

.....अनावेदक

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना

क्रमांक 1554-दी/14

जिला मुक्त

विवादित आदेश

विवादित आदेश का  
अभेदांकित आदेश का  
हस्ताक्षर

क्रमांक 6-14

प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निग0 1007-दी/14 में पारित आदेश दिनांक 10-4-14 के विरुद्ध म0प्र0 मू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है।


2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया तथा विवादित आदेश का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है -

1- नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2- अभिलेख से प्रकट कोई मूल/गलती।

3- कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तान्वित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष सूचित है।

  
(एम.के. सिंह)  
सदस्य,  
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर